अनुदान संख्या 86 - सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
GRANT No. 86 - MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	17390,70,00		21950,22,00	21556,17,17	-394,04,83
पूरक	Supplementary	4559,52,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					326,62,00
पूंजीगतः	**Capital:**					
प्रभारित–	*Charged -*			*5,00,00*	..	*-5,00,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	339652,30,00		353392,12,00	347660,74,26	-5731,37,74
पूरक	Supplementary	13739,82,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					5548,01,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	16700.00	17072.00	16348.97	-723.03
पु.	R.	372.00			
मुख्य शीर्ष "3054"	Major Head "3054"				
सड़कें और पुल	Roads and Bridges				
मू.	O.	535800.00	965800.00	964726.55	-1073.45
पु.	R.	430000.00			
मुख्य शीर्ष "3055"	Major Head "3055"				
सड़क परिवहन	Road Transport				
मू.	O.	52580.00	52760.00	47995.65	-4764.35
पू.	S.	25580.00			
पु.	R.	-25400.00			
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
विधानमंडलों वाली संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	35348.00	28086.00	27904.00	-182.00
पु.	R.	-7262.00			

(I) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹3981.00 लाख का प्रावधान पूर्णतः अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹3631.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "3602" – "विधानसभाओं वाले संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अन्य हस्तांतरण/अनुदान – केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से अनुदान – दिल्ली में सड़कें" के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली से कोई मांग न होने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹3981.00 lakhs remained wholly unutilized under two heads; of these ₹3631.00 lakhs alone accounted for under Major Head "3602" - "Other Transfer/Grants to Union Territory Governments with Legislatures - Grants from Central Road and Infrastructure Fund - Roads in Delhi" - due to no demand from UT of Delhi.

(II) दिसंबर, 2024 और मार्च, 2025 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार पूर्णतः अप्रयुक्त रहाः–

(II) Supplementary grant obtained in December, 2024 and March, 2025 under the following major heads remained wholly unutilized as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय" – ₹16700.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹372.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹17072.00 लाख तक बढ़ाया गया। तथापि, ₹723.03 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों को न भरने, विज्ञापन और प्रचार के लिए कम दावों की प्राप्ति, विदेश में प्रशिक्षण के लिए कम प्रस्तावों की प्राप्ति और भवन को किराए पर न लेने के कारण हुई।

(A) Major Head "3451" - "Secretariat - Ministry of Road Transport and Highways" - the original provision of ₹16700.00 lakhs was augmented to ₹17072.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹372.00 lakhs. However, there was a saving of ₹723.03 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling of vacant posts, receipt of less claims towards advertisement & publicity, receipt of less proposals for foreign training and non-hiring of building on rental basis.

(खा) मुख्य शीर्ष "3055" – "अनुसंधान – केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से वित्तपोषित सड़क सुरक्षा" – ₹10350.00 लाख के मूल प्रावधान को दिसंबर, 2024 में ₹12790.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹23140.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹13340.22 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) "सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को कैशलेस उपचार" योजना के तहत राज्यों से चिकित्सा प्रतिपूर्ति के कम दावों की प्राप्ति के कारण हुई।

(B) Major Head "3055" - "Research - Road Safety financed from Central Road and Infrastructure Fund" - the original provision of ₹10350.00 lakhs was augmented to ₹23140.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹12790.00 lakhs in December, 2024. However, there was a saving of ₹13340.22 lakhs (including supplementary grant) - due to receipt of less medical reimbursement claims from States under the scheme "Cashless Treatment to Victims of Road Accidents".

(III) दिसंबर, 2024 और मार्च, 2025 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रह गयाः–

(III) Supplementary grant obtained in December, 2024 and March, 2025 under the following major heads remained unutilized to the extent as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष "3054" – "सामान्य – अनुसंधान और विकास – राजमार्ग अनुसंधान – केंद्रीय सड़क और

(A) Major Head "3054" - "General - Research and Development - Highway Research - funding from

अवसंरचना निधि से वित्त पोषण" – ₹7900.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹4000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹11900.00 लाख कर दिया गया था, तथापि, जो राज्यों/एजेंसियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण ₹948.73 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रह गया।

Central Road and Infrastructure Fund" - the original provision of ₹7900.00 lakhs was augmented to ₹11900.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹4000.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹948.73 lakhs - due to receipt of less proposals from States/agencies.

(खा) मुख्य शीर्ष "3055" – "आरक्षित निधियों/जमा लेखों में अंतरण – केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि में अंतरण के लिए एकमुश्त अनुदान" – ₹24290.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹12790.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹37080.00 लाख कर दिया गया था, तथापि, जो केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि में कम निधियों अंतरित किए जाने के कारण ₹12700.00 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रह गया।

(B) Major Head "3055" - "Transfers to Reserve Funds/Deposits Accounts - Block Grant for Transfer to Central Road and Infrastructure Fund" - the original provision of ₹24290.00 lakhs was augmented to ₹37080.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹12790.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹12700.00 lakhs - due to less transfer of funds to Central Road and Infrastructure Fund.

(IV) मुख्य शीर्ष "3054" – "राष्ट्रीय राजमार्ग – सड़क निर्माण कार्य – केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि से वित्तपोषित स्वच्छता कार्य योजना" के अंतर्गत ₹5000.00 लाख की बचत (₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "3054" - "National Highways - Road Works - Swachhta Action Plan (SAP) financed from Central Road and Infrastructure Fund" - saving of ₹5000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from implementing agencies.

(V) मुख्य शीर्ष "3055" – "अनुसंधान" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:–

(V) Under Major Head "3055" - "Research" - savings occurred under the following heads:-

(का) "केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि से वितपोषित निरीक्षण एवं रखरखाव केन्द्र" – ₹884.91 लाख की बचत (₹1950.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों/कार्यकारी एजेंसियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(A) "Inspection and Maintenance Centre financed from Central Road and Infrastructure Fund"- saving of ₹884.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1950.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from States/executing agencies.

(खा) "केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि से वित्तपोषित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सुधार और सुदृढ़ीकरण" – ₹2195.90 लाख की बचत (₹3800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों/कार्यकारी एजेंसियों से कम मांग होने के कारण हुई।

(B) "Improving and Strengthening of Public Transport System financed from Central Road Infrastructure Fund" - saving of ₹2195.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3800.00 lakhs) was due to less demand from States/executing agencies.

(VI) मुख्य शीर्ष “3602” – “विधानसभाओं वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्य अंतरण/अनुदान – आरक्षित निधियों/जमा खातों में अंतरण – केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि में अंतरण के लिए एकमुश्त अनुदान” के अंतर्गत ₹3631.00 लाख की बचत (₹17674.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि में कम अंतरण किए जाने के कारण हुई।

(VI) Under Major Head “3602” - “Other Transfer/Grants to Union Territory Governments with Legislatures - Transfers to Reserve Funds/Deposits Accounts - Block Grant for Transfer to Central Road and Infrastructure Fund” - saving of ₹3631.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17674.00 lakhs) was due to less transfer to Central Road and Infrastructure Fund.

2. उपर्युक्त बचत (₹5000.00 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से प्रयुक्त हो गई, जैसा कि मुख्य शीर्ष “3054” – “राष्ट्रीय राजमार्ग – सड़क निर्माण कार्य – रखरखाव” के अंतर्गत ₹430000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹4875.28 लाख था।

2. The above savings were partly (₹5000.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining supplementary grant of ₹430000.00 lakhs under Major Head “3054” - “National Highways - Road Works - Maintenance”. Actual excess, however, was ₹4875.28 lakhs.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, *₹500.00 लाख* का *विनियोग* एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रह गया।

3. In the *charged* portion of the capital section of the grant, *appropriation* of *₹500.00 lakhs* remained wholly unutilized under one head.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचत (₹573137.74 लाख) दिसंबर, 2024 और मार्च, 2025 में प्राप्त ₹1373982.00 लाख की पूरक अनुदान का 42 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 2 प्रतिशत थी।

4. In the voted portion of the capital section of the grant, the overall savings (₹573137.74 lakhs) constituted 42 percent of the supplementary grants of ₹1373982.00 lakhs obtained in December, 2024 and March, 2025 and 2 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4552"	Major Head "4552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	1933800.00			
पू.	S.	1.00	..	..	..
पु.	R.	-1933801.00			
मुख्य शीर्ष "5054"	Major Head "5054"				
सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Roads and Bridges				
मू.	O.	32025139.00			
पू.	S.	1373981.00	34782120.00	34763894.48	-18225.52
पु.	R.	1383000.00			
मुख्य शीर्ष "5055"	Major Head "5055"				
सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Road Transport				
मू.	O.	6000.00	2000.00	1910.56	-89.44
पु.	R.	-4000.00			

(I) ₹1933801.00 लाख का प्रावधान (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) मुख्य शीर्ष "4552"– "राष्ट्रीय राजमार्ग (सड़कें और पुल) – सड़क निर्माण कार्य" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के पूर्णतः अप्रयुक्त रहा:–

(I) Provision of ₹1933801.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) remained wholly unutilized under Major Head "4552" - "National Highways (Roads & Bridges) - Road Works" - under the following heads:-

(का) "सड़क विंग और बीआरडीबी के तहत सड़क विकास कार्य" – ₹583000.00 लाख;

(A) Road Development Works under Roads Wing and BRDB" - ₹583000.00 lakhs;

(खा) "राष्ट्रीय निवेश कोष से वित्तपोषित सड़क विंग और सीमा सड़क विकास बोर्ड के अंतर्गत सड़क विकास कार्य" –

(B) "Road Development Works under Roads Wing and Border Road Development Board financed

₹900501.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित); और

(गा) "राष्ट्रीय निवेश कोष से वित्तपोषित पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम" – ₹450300.00 लाख।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रह गया।

(II) मुख्य शीर्ष "5054" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:–

(का) "राष्ट्रीय राजमार्ग" –

(क) "सड़क निर्माण कार्य" –

(i) "केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि से वित्तपोषित अन्य राजमार्गों से संबंधित योजनाएं" – ₹56761.26 लाख की बचत (₹211600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ परियोजनाओं के पूरा न होने, कम प्रस्तावों की प्राप्ति और चल रहे कार्यों की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(ii) "केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से वित्तपोषित बिना विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारें" – ₹24843.00 लाख की बचत (₹36005.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव द्वारा चल रहे कार्यों की धीमी प्रगति की वजह से कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

from National Investment Fund" - ₹900501.00 lakhs (including token suplementary grant of ₹1.00 lakh); and

(C) "Special Accelerated Road Development Programme in North Eastern Areas financed from National Investment Fund" - ₹450300.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "5054" - savings occurred under the following heads:-

(A) "National Highways" -

(a) "Road Works" -

(i) "Other Highways related schemes financed from Central Road and Infrastructure Fund" - saving of ₹56761.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹211600.00 lakhs) was due to non-completion of a few projects, receipt of less proposals and slow progress of ongoing works.

(ii) "Union Territory Governments without legislature financed from Central Road and Infrastructure Fund" - saving of ₹24843.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹36005.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards ongoing works owing to slow progress by Union Territories of Ladakh, Dadra and Nagar Haveli and Daman & Diu.

(ख) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(i) "वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क (राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सड़कें) के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम" – ₹15020.58 लाख की बचत (₹30000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों / कार्यकारी एजेंसियों की ओर से कम मांग होने के कारण हुई।

(ii) "राष्ट्रीय राजमार्ग मूल निर्माण कार्य – जनजातीय उप–योजना" – ₹32637.88 लाख की बचत (₹246190.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित अनुमान चरण पर सकल बजटीय सहायता से केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि में वित्त पोषण के स्रोत में परिवर्तन किए जाने के कारण हुई।

(खा) "सामान्य – आरक्षित निधियों / जमा खातों को / से अंतरण" –

(क) "केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि में अंतरण" – ₹18200.00 लाख की बचत (₹541415.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि को कम निधियां अंतरित किए जाने के कारण हुई।

(ख) "राष्ट्रीय निवेश निधि में अंतरण" – ₹550800.00 लाख की बचत (₹1350800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय निवेश निधि को कम निधियां अंतरित किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "5055" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:–

(का) "कार्यशाला सुविधाएं – केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि से वित्तपोषित निरीक्षण एवं रखरखाव केंद्र" – ₹2089.44 लाख की बचत (₹3000.00 लाख के स्वीकृत

(b) "Tribal Area Sub-Plan" -

(i) "Special Programme for Development of Road Connectivity (NH and State Roads) in Left Wing Extremism Affected Areas" - saving of ₹15020.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹30000.00 lakhs) was due to less demand by States/ executing agencies.

(ii) "National Highways Original Works - Tribal Sub Plan" - saving of ₹32637.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹246190.00 lakhs) was due to change in source of funding from Gross Budgetary Support to Central Road and Infrastructure Fund at revised estimates stage.

(B) "General - Transfers to/from Reserve Funds/Deposits Accounts" -

(a) "Transfer to Central Road and Infrastructure Fund" - saving of ₹18200.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹541415.00 lakhs) was due to less transfer of fund to Central Road and Infrastructure Fund.

(b) "Transfer to National Investment Fund" - saving of ₹550800.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1350800.00 lakhs) was due to less transfer of fund to National Investment Fund.

(III) Under Major Head "5055" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Workshop Facilities - Inspection and Maintenance Centre financed from Central Road and Infrastructure Fund" - saving of ₹2089.44 lakhs

प्रावधान की तुलना में) राज्यों द्वारा उपकरणों की स्थापना एवं कमीशनिंग के कार्यों की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs) was due to slow progress of works of installation and commissioning of equipment by the States.

(खा) "आरक्षित निधियों / जमा खातों में अंतरण – केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि में अंतरण के लिए एकमुश्त अनुदान" – ₹2000.00 लाख की बचत (₹3000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि में कम निधियां अंतरित किए जाने के कारण हुई।

(B) "Transfers to Reserve Funds/Deposits Accounts - Block Grant for Transfers to Central Road and Infrastructure Fund" - saving of ₹2000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs) was due to less transfer of fund to Central Road and Infrastructure Fund.

5.(I) उपर्युक्त बचत (₹766000.00 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से प्रयुक्त हो गई, जैसा कि मुख्य शीर्ष "5054" – "राष्ट्रीय राजमार्ग" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹1350000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

5.(I) The above savings were partly (₹766000.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining supplementary grant of ₹1350000.00 lakhs under Major Head "5054" - "National Highways" - under the following heads:-

(का) "सड़क निर्माण कार्य" –

(क) "सड़क स्कंध के अंतर्गत निर्माण कार्य" – ₹690000.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹687942.14 लाख था।

(ख) "राष्ट्रीय राजमार्ग मूल निर्माण कार्य" – ₹37400.00 लाख।

(खा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – राष्ट्रीय राजमार्ग मूल निर्माण कार्य – जनजातीय उप–योजना – केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि से वित्तपोषित" – ₹38600.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹38547.99 लाख था।

(A) "Road Works" -

(a) "Works under Roads Wing" - ₹690000.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹687942.14 lakhs.

(b) "National Highways Original Works" - ₹37400.00 lakhs.

(B) "Tribal Area Sub-Plan - National Highways Original Works - Tribal Sub Plan - financed from Central Road and Infrastructure Fund" - ₹38600.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹38547.99 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "5054" – "राष्ट्रीय राजमार्ग" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:–

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "5054" - "National Highways" - under the following heads: -

(का) "सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश – भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण" – ₹13728.55 लाख का अधिक व्यय (₹16846400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतमाला परियोजना के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं और प्रतिबद्ध देनदारियों के लिए अतिरिक्त

(A) "Investments in Public Sector and Other Undertakings - National Highways Authority of India" - excess of ₹13728.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16846400.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards

निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) "सड़क निर्माण कार्य" –

(क) "पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम" – ₹443755.41 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) "राष्ट्रीय निवेश निधि से वित्तपोषित पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम" – ₹793544.11 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग हेतु निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "4552" से कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने के कारण हुआ।

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – भारतमाला परियोजना – जनजातीय उपयोजना – सड़क विंग/राज्य लोक निर्माण विभाग/एनएचआईडीसीएल/सीमा सड़क संगठन के तहत निर्माण कार्य" – ₹29919.00 लाख का अधिक व्यय (₹23981.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹1118981.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जनजातीय क्षेत्रों में भारतमाला परियोजना के तहत बकाया देनदारियों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(घा) "आरक्षित निधियों/जमा खातों में अंतरण – केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि में अंतरण के लिए एकमुश्त अनुदान" – ₹18200.00 लाख का अधिक व्यय (₹346400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि में अधिक निधियां अंतरित किए जाने के कारण हुआ।

6. *राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधिः–*

यह शुल्क राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थायी पुलों का उपयोग करने वाले यंत्रचालित वाहनों पर लगाया जाता है, जिनकी लागत ₹25.00 लाख से अधिक और ₹100.00 लाख तक होती है और जो 01 अप्रैल, 1976 को या उसके बाद

ongoing projects and committed liabilities under Bharatmala Pariyojana.

(B) "Road Works" -

(a) "Special Accelerated Road Development Programme in North Eastern Areas" - excess of ₹443755.41 lakhs (against Nil provision); and

(b) "Special Accelerated Road Development Programme in North Eastern Areas financed from National Investment Fund" - excess of ₹793544.11 lakhs (against Nil provision).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(C) "Tribal Area Sub-Plan - Bharatmala Pariyojana - Tribal Sub Plan - works under Road wing/State PWDs/NHIDCL/BRO" - excess of ₹29919.00 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1118981.00 lakhs including supplementary grant of ₹23981.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards outstanding liabilities under Bharatmala Pariyojana in tribal areas.

(D) "Transfers to Reserve Funds/Deposit Accounts - Block Grant for Transfer to Central Road and Infrastructure Fund" - excess of ₹18200.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹346400.00 lakhs) was due to more transfer of funds to Central Road and Infrastructure Fund.

6. National Highways Permanent Bridges Fees Fund:-

The fees are levied on mechanically propelled vehicles using permanent bridges on National Highways which cost more than Rs. 25.00 lakhs and upto Rs. 100.00 lakhs for each and were

लेकिन 01 मार्च, 1992 से पहले बनाए गए और यातायात के लिए खोले गए थे और उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्गों पर ₹100.00 लाख से अधिक की लागत वाले सभी पुलों को शुल्क संग्रह के लिए अलग से अधिसूचित किया जाएगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों में एकत्र किए गए शुल्क से प्राप्त राजस्व को शुरू में भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है। इन्हें संसद द्वारा स्वीकृत अनुदानों में से भारत के लोक लेखा में "राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि" में स्थानांतरित कर दिया जाता है। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को देय संग्रह शुल्क (एकत्रित राशि का 12 प्रतिशत) भी संसद द्वारा स्वीकृत अनुदानों के माध्यम से निधि से बनाया जाता है। इस निधि की शेष राशि उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए किया जाता है।

built and opened to traffic on or after 1st April, 1976 but before the first day of March, 1992 and thereafter all the bridges costing more than ₹100.00 lakhs on National Highways, shall be notified separately for levy of fee collection. The proceeds from the fees which are collected in the States and Union Territories Governments are initially credited to the Consolidated Fund of India. These are transferred to the "National Highways Permanent Bridges Fee Fund" in the Public Accounts of India out of grants voted by Parliament. Collection charges payable to State Governments and Administration of Union Territories (at 12 percent) of the amount collected are also made out of fund by way of grants voted by Parliament. The balance in the Fund is utilized for development of National Highways.

वर्ष 2024–2025 के लिए निधि का लेखा–जोखा इस प्रकार था:–

The Account of the Fund for 2024-2025 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथ शेष	Opening Balance	326,24,70
प्राप्तियां	Receipts	30000,00,00
अदायगियां	Payments	30000,00,00
अंत शेष	Closing Balance	326,24,70